न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः—श्री बी0एल0मेहरड़ा, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः—118/2018/223 (2018/00118)

1. रामपाल पुत्र लक्ष्मण उर्फ लक्ष्मीनारायण,
2. श्रीमती प्रेमदेवी पत्नि जगदीश पुत्र लक्ष्मण उर्फ लक्ष्मीनारायण,
3. ओमप्रकाश पुत्र लक्ष्मण उर्फ लक्ष्मीनारायण,
4. महावीर पुत्र रामगोपाल,
5. रमेश पुत्र रामगोपाल,
6. सुरेश पुत्र रामगोपाल,
7. सुरेन्द्र पुत्र रामगोपाल,
8. श्रीमती सोहनी बेवा रामगोपाल,
9. श्रीमती मधु पत्नि विष्णुदत्त,
10. आशीष पुत्र विष्णुदत्त,
11. दीपक पुत्र विष्णुदत्त,
12. दुर्गा पत्नि जानकीलाल,
13. पप्पू उर्फ किशन शर्मा पुत्र जानकीलाल बसरबराही माता श्रीमती दुर्गा,
14. यज्ञदत्त पुत्र कन्हैयालाल,
15. दिनेशचन्द पुत्र कन्हैयालाल,
16. रमेशचन्द पुत्र कन्हैयालाल,
17. श्रीमती गुलाबदेवी पत्नि कन्हैयालाल,

समस्त जाति ब्राह्मण, निवासी गांव बड़ा आसन, तहसील मसूदा, जिला अजमेर ।

अपीलांटस

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये भू—धारक तहसीलदार, मसूदा, जिला अजमेर ।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, विजयनगर ।

रेस्पोडेंटस

अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध विरूद्ध निर्णय एवं डिक्री विद्वान उपखण्ड अधिकारी, मसूदा दिनांक 28.3.2018 अंतर्गत वाद संख्या 13/2013.

उपस्थितः—

1. श्री शिवप्रकाश चौधरी, वकील अपीलांटस।
2. श्री धर्मवीर चौधरी, राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 संख्या 1 व 2.

निर्णय

दिनांकः— 30.8.2019

1. यह अपील विद्वान उपखण्ड अधिकारी, मसूदा के निर्णय एवं डिक्री दिनांक 28.3.2018 के विरूद्ध इस न्यायालय मे प्रस्तुत हुई है ।
2. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण/अपीलांटस ने अधी0न्याया0 में वाद अंतर्गत धारा 88 राज0काश्त0अधि0 1955 व

राजस्थान भू–राजस्व अधि 1956 की धारा 136 के तहत पेश कर निवेदन किया कि मौजा ग्राम बडा आसन, तहसील मसूदा हाल तसील विजयनगर जिला अजमेर में स्थित साबिक खसरा नंबर 186 रकबा 6 बीघा हाल खसरा नंबर 389 मिन रकबा 5 बीधा 17 बिस्वा, खसरा नंबर 348/496 रकबा 3 बिस्वा एवं साबिक खसरा नंबर 187 रकबा 3 बीघा 14 बिस्वा हाल खसरा नंबर 348 रकबा 3 बीघा 12 बिस्वा, खसरा नंबर 348/496 रकबा 2 बिस्वा एवं साबिक खसरा नंबर 188 रकबा 3 बीघा 9 बिस्वा 10 बिस्वांसी के हाल खसरा नंबर 344 रकबा 3 बीघा 5 बिस्वा एवं खसरा नंबर 348/396 रकबा 2 बिस्वा व खसरा नंबर 345 रकबा 10 बिस्वांसी भूमि अवस्थित है । सेटलमेंट से पूर्व वादग्रस्त आराजियात खसरा नंबर 186, 187 एवं 188 वाके ग्राम बड़ा आसन, तहसील मसूदा में स्थित रही है जिनके पूर्व में साबिक खसरा नंबर 284 व 282 बने है । उक्त साबिक खसरा नंबर 284 व 282 के मध्य राजस्व नक्शा व 1349 फसली में कोई रास्ता अंकित नहीं है न ही मौके पर कोई रास्ता विद्यमान है परन्तु भू–प्रबंध विभाग द्वारा सन् 1971 में खसरा नंबर 348/496 रकबा 7 बिस्वा को गैर कानूनी रूप से गैर मुमकिन रास्ता अंकित कर दिया जबकि मौके पर कोई रास्ता अवस्थित नहीं है न ही कोई पगदण्डी है परन्तु सेटलमेंट विभाग ने गलत रूप से वादीगण/अपीलांटस की आराजियात के रकबे में से भूमि कम रकते हुए रास्ता अंकित कर दिया जिसे दुरूस्त किया जाकर पुनः अपीलांटस की खातेदारी में दर्ज किया जावे । अधी0न्याया0 ने दिनांक 26.10.2017 को वादीगण का वाद स्वीकार कर डिक्री पारित की । तत्पश्चा् अपीलांट ने निर्णय व डिक्री की पालना हेतु अधी0न्याया0 के समक्ष इजराय प्रार्थना पत्र पेश किया किन्तु इजराय की कार्यवाही में दिनांक 22.3.2018 की पेशी नियत की गई व दिनांक 22.3.2018 से उपरोक्त प्रकरण में आगामी तारीख दिनांक 24.5.2018 नियत की गई परन्तु गैर कानूनी रूप से दिनांक 24.5.2018 से पूर्व ही पत्रावली को बिना अपीलांटस को नोटिस दिये दिनांक 28.3.2018 को नियत कर अधी0न्याया0 ने सो–मोटो स्वंय के द्वारा एकतरफा में गलत रूप से न्यायालय की अन्तर्निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए गैर कानूनी रूप से वादीगण के पक्ष में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 26.10.2017 को निरस्त करने का आदेश पारित कर दिया । अधी0 न्याया0 के इस निर्णय व डिक्री से असंतुष्ट होकर अपीलांट ने यह अपील इस न्यायालय में पेश की है।

3. अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को तलब किया गया । रेस्पोडेंट संख्या 2 उपस्थित । अधी0न्याया0 का रिकार्ड प्राप्त होने के उपरांत प्रकरण में उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई।

4. विद्वान वकील अपीलांट ने बहस में अपीलमीमों में उल्लेखित तथ्यों की ताईद करते हुए कथन किया कि अधी0.न्याया0 ने उनके द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 26.10.2017 को सोमोटो निरस्त करने से पूर्व वादीगण को कोई नोटिस जारी नहीं किया जबकि प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के अनसार अपीलांटस को सुनवाई का समुचित अवसर दिया जाना आवश्यक था । अधी0न्याया0 को स्वंय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री को निरस्त करने का कोई क्षैत्राधिकार नहीं था । यह भी कथन किया कि अधी0न्याया0 के निर्णय व डिक्री की पालना हेतु प्रस्तुत इजराय प्रार्थना पत्र में अपीलांटस को दिनांक 22.3.2018 से दिनांक 24.5.2018 की तारीख पेशी दी गई थी परन्तु बिना अपीलांटस को सूचित किय तथा बिना कोई नोटिस जारी किये पत्रावली दिनांक 28.3.2018 को नियत कर उसी दिन अपीलांटस के पक्ष में पारित निर्णय व डिक्री को निरस्त करने में अधी0न्याया0 ने अनियमितता की है । अधी0न्याया0 के समक्ष अपीलांटस ने जमाबंदी संवत् 2018 से 2021 की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत की जिसमें खसरा नंबर 188 रकबा 3 बीघा 9 बिस्वा किस्म चाही–2 भागीरथ

पुत्र बीरमा कौम ब्राहमण साकिन देह दर्ज थे जिस पर प्रदर्श डाला जाकर अधी0न्याया0 ने उपरोक्त दस्तावेज को साबित मानते हुए अपीलांट के पक्ष में निर्णय व डिक्री पारित की है परन्तु अधी0न्याया.0 के समक्ष इस बाबत् कोई काउण्टर दस्तावेज नहीं होने के बावजूद भी गलत रूप से अपीलाधीन निर्णय पारित किया है । यह भी कथन किया कि अधी0न्याया0 ने इस महत्वपूर्ण कानूनी बिन्दु पर ध्यान नहीं दिया कि दिनांक 28.3.2018 को हाजा न्यायालय द्वारा अधी0न्याया0 द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 26.10.2017 की क्रियान्विति को स्थगित करने का आदेश पारित किया था ऐसी स्थिति में हायर कोर्ट के स्टे के रहते अधी0न्याया0 को अपीलांट के पक्ष में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 26. 10.2017 को निरस्त करने का कोई अधिकार नहीं था । अधी0न्याया0 ने इस महत्वपूर्ण बिन्दु की ओर ध्यान नहीं दिया कि विवादित आराजी हाल खसरा नंबर 348/496 के पूर्व साबिक खसरा नंबर 188 सन् 1349 फसली में रास्ता दर्ज नहीं है व न ही जमाबंदी संवत् 2018 से 2021 में रास्ता दर्ज है । भू–प्रबंध विभाग को केवल मात्र पूर्व इद्रांज को ही दोहराना चाहिये था किन्तु भू–प्रबंध विभाग ने बिना किसी सक्षम न्यायालय के आदेशों के इंद्राज परिवर्तन करने में त्रुटि कारित की थी जिसे अधी0न्याया0 के समक्ष अपीलांटस द्वारा साबित किये जाने पर अधी0न्याया0 द्वारा वादीगण/अपीलांटस का वाद दिनांक 16.10.2017 को डिक्री किया गया था जो विधिसम्मत् था जिसे अधी0न्याया0 ने अपीलांटस को बिना सुनवाई का अवसर प्रदान किये मनमाने रूप से निरस्त करने में त्रुटि कारित की है । अतः अपील अपीलांटस स्वीकार कर अधी0न्याया0 का निर्णय व डिक्री दिनांक 28.3.2018 को निरस्त किया जावे तथा अधी0न्याया0 द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 26.10.2017 को यथावत् रखा जावे ।

5. विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने बहस में कथन किया कि अधी0न्याया0 का निर्णय व डिक्री विधिसम्मत् है । अधी0न्याया0 द्वारा वादीगण/अपीलांटस का वाद दिनांक 26.10.2017 को डिक्री किया गया था किन्तु अधी0न्याया0 के संज्ञान में यह तथ्य आने पर कि मान0 उच्च न्यायालयों के यह आदेश है कि सरकारी भूमि मार्ग, पगदण्डियों, रास्तों की भूमि को किसी भी व्यक्ति की खातेदारी में इंद्राज नहीं किया जा सकता है, अधी0न्याया0 ने पत्रावली को सोमोटो रिव्यू कर अपीलाधीन आदेश से पूर्व पारित निर्णय व डिक्री को निरस्त किया है जो विधिसम्मत् है। न्यायालय के संज्ञान में आने पर न्यायालय अपने द्वारा पारित निर्णय को स्वंय सोमोटो रिव्यू कर निरस्त कर सकता है । अधी0न्याया0 का निर्णय उचित है । अतः अपील अपीलांटस निरस्त की जावे ।

6. हमनें उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों अवलोकन किया । पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अधी0न्याया0 के समक्ष वादीगण/अपीलांटस द्वारा वाद पेश किये जाने पर अधी0न्याया0 ने वाद में तीन तनकियात कायम कर उभयपक्ष को साक्ष्य एवं सुनवाई का अवसर प्रदान कर वाद को गुणावगुण पर निर्णित कर दिनांक 26.10.2017 को वादीगण का वाद डिक्री किया था । तत्पश्चात् अधी0न्याया0 ने दिनांक 28.3.2018 को प्रकरण को सोमोट रिव्यू कर उसी दिन अपने द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 326.10.2017 को निरस्त करने के आदेश पारित किये है । अधी0न्याया0 द्वारा प्रकरण को सोमोटो रिव्यू करने के संबंध में अपीलांटस को कोई नोटिस दिया जाना पत्रावली की आदेशिका से परिलक्षित नहीं होता है । यह विधि का सुस्थापित सिद्धांत है कि किसी भी पक्षकार को बिना सुनवाई का अवसर प्रदान किये निर्णय पारित नहीं किया जाना चाहिये जबकि हस्तगत प्रकरण में तो अधी0न्याया0 द्वारा वादीगण/अपीलांटस के पक्ष में वादीगण का वाद निर्णय व डिक्री दिनांक 26.10.2017 द्वारा

स्वीकार किया गया है । अधी0न्याया0 स्वंय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री को सोमोटो रिव्यू कर निरस्त करने से पूर्व अपीलांटस को सुना जाना न्यायोचित एवं आवश्यक था किन्तु अधी0न्याया0 ने इस विधिक तथ्य को नजरअंदाज कर अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित करने में विधिक त्रुटि कारित की है । उपरोक्त विवेचनानुसार अपील अपीलांटस आंशिक रूप से स्वीकार योग्य तथा विद्वान अधी0न्याया0 द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 28.3.2018 निरस्त योग्य होकर प्रकरण अधी0न्याया0 को प्रतिप्रेषित किये जाने योग्य पाया जाता है ।

7. अतः अपील अपीलांटस आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है । विद्वान उपखण्ड अधिकारी, मसूदा द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 28.3.2016 निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण अधी0न्याया0 को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे अपीलांटस/वादीगण को साक्ष्य, सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर प्रकरण को पुनः निर्णित करे । पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो ।

(बी0एल0मेहरड़ा)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

8. निर्णय आज दिनांक 30.8.2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

(बी0एल0मेहरड़ा)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर